सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-2880/MTXT/1/2025-RU-II** दिनांक: **22.07.2026**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC),
3, इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई,
मुंबई, महाराष्ट्र-400056
ई-मेल: ceo@kvic.gov.in

विषय: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) में पदोन्नति, पेंशन, आरक्षण लाभ और कर्मचारी संघ के कामकाज में कथित अनियमितताओं के संबंध में सदस्य, खादी आयोग कर्मचारी संघ, मुंबई, महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक 12.11.2025 को आयोग को सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सदस्य,
खादी आयोग कर्मचारी संघ,
मुंबई, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/SER-2880/MTXT/1/2025-RU-II

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) में पदोन्नति, पेंशन लाभ, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के कथित दुरुपयोग, कर्मचारी संघ की मान्यता एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न संबंधी खादी आयोग कर्मचारी संघ, मुंबई, महाराष्ट्र के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. आयोग को दिनांक 12.11.2025 को खादी आयोग कर्मचारी संघ, मुंबई, महाराष्ट्र की ओर से संघ के एक सतर्क सदस्य के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) में पदोन्नति, पेंशन लाभ, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के कथित दुरुपयोग, कर्मचारी संघ को मान्यता न दिए जाने तथा कर्मचारियों के उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया था कि कर्मचारी संघ के गठन एवं मान्यता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तथा पदोन्नति की प्रक्रिया में उसकी भूमिका की उपेक्षा की जा रही है।

3. अभ्यावेदन में यह भी आरोप लगाया गया था कि पदोन्नति की प्रक्रिया में अनियमितता एवं विलंब किया जा रहा है, जिसमें निदेशक (प्रशासन/मानव संसाधन) द्वारा कथित रूप से धनराशि की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्री शरायु मोहिते को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ अनियमित रूप से प्रदान करने, ग्रेड पे अपग्रेडेशन से संबंधित न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन न करने तथा श्री यशवंत के. डेकाटे के पदोन्नति प्रकरण में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे, जिससे वास्तविक अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होने की बात कही गई थी।

4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12.12.2025 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), मुंबई को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग को सुनवाई की तिथि तक संबंधित प्राधिकारी से कोई लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी। अतः दिनांक 17.06.2026 को प्रथम बार सिटिंग आयोजित की गई।

6. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। संबंधित प्राधिकारी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन की जांच एवं सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि अभ्यावेदन किसी नामित अथवा पहचान योग्य अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अभ्यावेदन की प्रकृति गुमनाम पाई गई।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

7. सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेखनीय रहा कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा कथित याचिकाकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही अभ्यावेदन के समर्थन में कोई अतिरिक्त साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

8. प्रकरण के तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों तथा संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत मौखिक कथनों का परीक्षण करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि चूंकि अभ्यावेदन गुमनाम प्रकृति का पाया गया है तथा अभ्यावेदक भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए प्रकरण में आयोग स्तर पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, संबंधित प्राधिकारी के कथनों तथा अभ्यावेदक की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माननीय आयोग द्वारा निम्न अनुशंसा की गई –

चूंकि प्रस्तुत अभ्यावेदन गुमनाम प्रकृति का पाया गया है तथा अभ्यावेदक आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, अतः प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फलस्वरूप, उक्त प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/SER-2880/MTXT/1/2025-RU-II

दिनांक: 17.06.2026

विषय: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) में पदोन्नति, पेंशन, आरक्षण लाभ और कर्मचारी संघ के कामकाज में कथित अनियमितताओं के संबंध में सदस्य, खादी आयोग कर्मचारी संघ, मुंबई, महाराष्ट्र के द्वारा दिनांक 12.11.2025 को आयोग को सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेकानंद शुक्ला	अन्वेषक		

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), 3, इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई,
मुंबई, महाराष्ट्र-400056

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	SATPAPAL SINGH	Empanelled ADV	9811138496	SPSingh
2.	Ramesh Negi	Director	9810568833	[illegible]
3.	Balinder Singh	Sr. Ex. FBAA	9465095290	[illegible]
4.	प्रवीन कुमार	Sr Ex. (Adv)	9315099367	[illegible]

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				